

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग - 1

संख्या 1984 से0-1/पाँच-जी0-24/81

लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 1981

कार्यालय द्वारा

राज्यपाल महोदय, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 2 § भाग - 2 से 4 §
उपरोक्त 5 § भाग -- 1 § तथा उत्तर प्रदेश धनदौलत में उल्लिखित
नियमों के लिए विभागाध्यक्ष घोषित करते हैं।

राज्यपाल महोदय उपरोक्त अधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्यालयों
के अधिकारियों के पत्रा भूषण को नियंत्रित व पत्रा चितों को
प्रतिरुद्ध करने के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 3 के नियम-86
के अन्तर्गत नियंत्रक अधिकारी और स्वयं अपने पत्रा चितों के लिए भी
नियमों का पालन घोषित करते हैं।

के पी० सी० तन्ना
संयुक्त सचिव

संख्या 1984 § 1/से0-1/पाँच तरफिकां

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को भूनाथ एवं आचार्य कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
 2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
 3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ।
 4. वित्त लेखा 1/2 आय-उपयुक्त -4, सामान्य -4, तथा नियम -3/5
अनुभाग।
 5. सचिवालय के सहायक अनुभाग।
 6. सहायक विभागाध्यक्ष।
 7. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
विभागीय सचिव, नई दिल्ली।
 8. प्रमुख सचिव, सहायक सचिवों के कार्यालय, उ०प्र०।
 9. उपायुक्त, लखनऊ के सहायक विभागाधीन।
 10. प्रमुख सचिव, के०जी० मेडिकल कॉलेज, लखनऊ।
 11. निदेशक, आय० व० श० स०, लखनऊ।